कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक 2957 / 14-4-4 बाराबंकी,दिनांक 14/4 /2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सरयू वृत्त, उ0 प्र0
फैजाबाद।

विषय:- एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम- बनीकोडर, तहसील- रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा संख्या- 288 तथा 305 में भिटरिया-हैदरगढ़ मार्ग किमी0 1-2 के मध्य दायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु 0.0493 है0 के स्थान पर संशोधित क्षेत्रफल 0.052743 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/15/2017/एफ.सी./513 दिनांक 17-02-2017 तथा उ0 प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक- भा0स0 37/14-2-2017-800(1)/2017 दिनांक 27-02-2017 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक- 1797/11-सी-एफ.पी./यू.पी./अन्य/19868/2016 दिनांक 27.02.2017 तथा आपके कार्यालय की पत्र संख्या- 2721/14-10 दिनांक 23-02-2017 एवं पत्रांक- 2953/14-10 दिनांक 21-03-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा में आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्ताव की दो प्रति एवं अभिलेखों की तीन प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

विन्दु	आपत्ति का विवरण	निराकरण
1	The geo referenced of all key points to define the shape of proposal forest land for diversion has not been provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.04.2017 द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित रोड के मुख्य विन्दुओं के आधार पर अक्षांश देशांतर का उल्लेख करते हुए डिजिटल मैप तैयार कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	The Information regarding justification for locating the Project in forest land has not been provided.	संरक्षित वन भूमि में पेट्रोल पम्प लगाने का औचित्य नोट प्रस्ताव में संलग्नक-42 के रूप में संलग्न है।
3	The area calculation sheet for proposed forest land is incorrect. The area calculation for curved portion is incorrect.	क्षेत्रफल की गणना ठीक कर दी गयी है जो प्रस्ताव के संलग्नक-2 तथा 22 के रूप में संलग्न है तथा उपयुक्त स्थान पर संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
4	NPV calculation shall be besed on corerct calculation for proposed forest land for diversion.	प्रस्तावित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में सही कर संलग्नक-25 के रूप में संलग्न है ।
5	The compensatory afforestation scheme for the proposal does not conform to the section 3.2 of the handbook of FCA-1980 guidelines (2003). The same needs revision.	चूंकि उक्त परियोजना में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्थानान्तरण 40 है0 से कम है इस लिए सम्बन्धित परियोजना राज्य सरकार के माध्यम से ही क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ को भेजा गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-3.2 के अनुरूप है।
6	The online proposal is without following documents/ certificates:	
a	Site Inspection Report of DFO.	प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र में पुनः तैयार कर संलग्न है।
b	Certificate regarding van Swaroop land	वन स्वरूप भूमि का प्रमाण पत्र परियोजना मे संलग्नक-20 के रूप में संलग्न है।
c	Certificate regarding protected Area	संरक्षित वन भूमि का प्रमाण पत्र परियोजना में संलग्नक-22 के रूप में संलग्न है।
d	Certificate of user agency regarding NPV and compensatory afforestation	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र परियोजना में संलग्नक-11 व संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है।
e	Certificate of user agency regarding increase in NPV	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ोत्तरी होने पर भुगतान के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है।
7	Original / Certified copies of documents need submission with the revised proposal.	संलग्न है।

अतः आप द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संशोधित प्रस्ताव मूल अभिलेखों /प्रमाणित प्रति की चार प्रति सहित संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / उक्तदिनांकित।

1- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामसनेहीघाट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो।

2- प्रतिलिपि डिविजनल प्रबन्धक, एस्सार आयल लि0 2/373 विशाल खण्ड निकट-सी. एम.एस. गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 13-04-2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

त्रिभुवन/-